कार्यालयः— जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा, (म0प्र0)

::— विविध आदेश —::

क्रमांक २७ /परिपत्र/2020 रीवा, दिनांक 29/03/2020

मान्नीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका SUO MOTO WRIT PETITION (CIVIL) NO. 1/2020 IN RE: CONTAGION OF COVID-19 VIRUS IN PRISONS में पारित निर्णय दिनांक 23.03.2020 में दिए गये निर्देश एवं मान्नीय न्यायमूर्ति श्री संजय यादव, अध्यक्ष राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण मध्यप्रदेश की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 26.03.2020 में लिये गये निर्णय के पालन में जेल मुख्यालय मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक 6192/वारण्ट—1/2020, दिनांक 27.03.2020 के क्रम में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैः—

1. कोरोना वायरस से उत्पन्न परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अधिकतम 5 वर्ष तक की सजा के दण्डादेश के प्रावधान वाले आपराधिक प्रकरण में निरूद्ध विचाराधीन बंदियों के जमानत आवेदन जेल अधीक्षक द्वारा संबंधित न्यायालय एवं जिला एवं सत्र न्यायालय को प्राप्त होते हैं तब ऐसे आवेदन पत्र तत्काल **संबंधित न्यायालय** अर्थात जिस न्यायालय में वह मामला लंबित है (मजिस्ट्रेट न्यायालय/सत्र न्यायालय) के पीठासीन अधिकारी को प्रेषित किए जावेगें और पीठासीन अधिकारी, तत्काल ~~यथासंभव उसी कार्य दिवस में~~ निष्पादन लिपिक को सूचित करते हुए उस आवेदन पत्र से संबंधित प्रकरण को प्रस्तुत कराकर आवेदन पत्र का निराकरण जेल मुख्यालय मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक 6192/वारण्ट—1/2020, दिनांक 27.03.2020 की कंडिका—02 को ध्यान में रखते हुए विधिवत आदेश पारित करेगें।

2. विचाराधीन बंदी को 45 दिवस तक की अंतरिम जमानत पर केस टू केस मेरिट के आधार पर परीक्षण कर छोड़ा जा सकता है।

3. पीठासीन अधिकारी जिनके न्यायालय में लंबित प्रकरणों में विचाराधीन बंदियों के संबंध में उक्त प्रकार के आवेदन प्राप्त होते हैं वह अपने न्यायालयों में अपने विवेक अनुसार अधीनस्थ स्टॉफ की ड्यूटी लगाकर इस कार्यवाही का संपादन दिन 4 बजे से 5 बजे के मध्य कर सकेगें। तथा निष्पादन पश्चात् CJM/जिला न्यायाधीश को सूचित करेंगे।

4. पीठासीन अधिकारियों को सुविधा की दृष्टि से उक्त कार्यवाही की माडल आदेश पत्रिका संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

5. पीठासीन अधिकारी जेल मुख्यालय मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक 6192/वारण्ट—1/2020, दिनांक 27.03.2020 एवं माडल आदेश पत्रिका को ध्यान में रखते हुए अपने विवेक से न्यायोचित आदेश पारित करेंगें।

6. उक्त कार्यवाही के समय किसी भी प्रकार की कोई समस्या जानकारी के संबंध में क्वेरी की जानी है तब संबंधित पीठासीन अधिकारी जिला न्यायाधीश रीवा से मोबाइल पर निर्देश प्राप्त कर सकेगें।

7. **विविध आदेश की यह हार्ड कापी नियमानुसार तत्काल संबंधित को प्रेषित की जावेगी किन्तु उसके पूर्व ईमेल आईडी/वेबसाईट/वाट्सअप/दूरभाष/मोबाईल द्वारा सभी संबंधितों को सूचित किया जावेगा। तत्संबंध में श्री श्रीकान्त नागर, कोर्ट मैनेजर, श्री पीयूष द्विवेदी, कम्प्यूटर आपरेटर एवं गौरव द्विवेदी, सहायक ग्रेड—3, को अधिकृत किया जाता है। विविध आदेश की प्रति जिला न्यायालय तहसील न्यायालय के मुख्य द्वारों पर चस्पा की जावे।**

यथानिर्देशित उपरोक्तानुसार विविध आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। आदेश के अपालन/उल्लंघन करने की दशा में इसे गंभीरता से लिया जावेगा।

संलग्नः—

1. जेल मुख्यालय मध्यप्रदेश, भोपाल क्रमांक 6192/वारण्ट—1/2020, दिनांक 27.03.2020.
2. माडल आदेश पत्रिका।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा, म0प्र0

1299

पृष्ठा. कमांक /परिपत्र/2020 रीवा, दिनांक 29/03/2020

प्रतिलिपि,

01. मान्नीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर।

02. समस्त पीठासीन अधिकारी जिला न्यायालय रीवा/तहसील न्यायालय /मउगंज/ सिरमौर/ त्योंथर/हनुमना/मनगंवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

03. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, रीवा/मउगंज/सिरमौर/त्योंथर/हनुमना/मनगंवा।

04. जिला दण्डाधिकारी, रीवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

05. पुलिस अधीक्षक,रीवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

06. जेल अधीक्षक, रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु कि वह संबंधित बंदी के परिवार के सदस्यों को तत्संबंध में कार्यवाही की सूचना दें।

07. जिला अभियोजन कार्यालय रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा, म0प्र0